सं0 14020/2/93-स्था [छुट्टी]

भारत सरकार

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 29-3-95

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के अधिवर्षिता पर अर्ध-वेतन छुट्टी का नकदीकरण-सेवाकाल आदि के दौरान मृत्यु के मामलों में भी इस प्रसुविधा का दिया जाना ।

इस विभाग के दिनांक 6.4.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14020/1/90-स्था0[छुट्टी] के तहत अर्ध वेतन [छुट्टी] के नकदीकरण की प्रसुविधा को दिनांक 14.7.82 को अथवा उसके बाद मृत्यु के मामले में, तथा सेवा के दौरान अथवा अधिवर्षिता के बाद परन्तु अर्ध-वेतन छुट्टी वेतन के बराबर नकद भुगतान की वास्तविक प्राप्ति से पूर्व मृत्यु के मामले में लागू करने का प्रश्न इस विभाग के विचाराधीन था । वित्त मंत्रालय के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि इस विभाग के दिनांक 6.4.93 के कार्यालय ज्ञापन के उपबन्ध सरकारी कर्मचारियों के ऊपर उल्लिखित मामलों पर भी लागू किए जायें तथापि सेवा के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2[ii] में निर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार कटौतियों की गणना के प्रयोजन के लिए पेंशन व ग्रेच्युटी के पेंशन समतुल्य के स्थान पर क्रमशः परिवार पेंशन और मृत्यु उपदान के पेंशन-समतुल्य को हिसाब में लिया जाएगा । अधिवर्षिता के बाद मृत्यु के मामले में कटौतियों की गणना का फार्मूला दिनांक 6.4.1993 के कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्टानुसार ही रहेगा । अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण की राशि दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार को केन्द्रीय सिविल सेवा [छुट्टी] नियमावली 1972 के नियम 39.ग में निर्दिष्टानुसार की जाएगी । अन्य शर्तें दिनांक 6.4.93 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यथावत् रहेंगी । भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह कार्यालय ज्ञापन भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है ।

बी. गंगर

[बी0 गंगर]

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी
मंत्रालय/विभाग

सं0 14020/2/93-स्था0 [एल0] नई दिल्ली, 29-3-95

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय ।

....2/-

2. लेखा महा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय ।

3. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का सर्वोच्च न्यायालय/चुनाव आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।

4. सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र ।

5. सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल ।

6. सचिव, संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) 13-सी. फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।

7. संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य/विभागीय परिषद ।

8. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग/प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग ।

9. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (ई-II(ख) शाखा) ।

10. राजभाषा (विधायी) शाखा (विधायी विभाग) भगवानदास रोड, नई दिल्ली ।

11. [illegible] रोड, नई दिल्ली ।

12. 500 अतिरिक्त प्रतियां ।

(ह०) बी० नागर
अवर सचिव, भारत सरकार